

निवेदन हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर  
एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश  
क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011  
द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं  
बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ  
है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को  
खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी नरेश पुत्र प्रहलाद जाति नायक  
निवासी वार्ड नं0 63 बापूनगर जिला श्रीगंगानगर  
ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण  
पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन  
किया है कि मेरे दादा रावताराम पुत्र चतरुराम  
जाति नायक निवासी बापूनगर जिला श्रीगंगानगर  
ने दिनांक 28.01.2019 को वसीयत कस्टडी में  
रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 28.10.2019  
को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 28.01.2019  
को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर  
निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान प्रहलाल पुत्र रावताराम एवं  
सुन्दरी देवी पत्नी प्रहलाद ने पहचाना है। प्रार्थी  
एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रणजोध  
सिंह राणा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा  
कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु  
प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

*[Handwritten Signature]*  
9/11/21

*[Handwritten Initials]*

H  
R  
(R.S.Kang)